

प्राप्तकथन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का एह संस्करण हिन्दी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस अधिनियम का अधिकारी पाठ और प्राधिकृत हिन्दी पाठ 1 पाल्पदी, 2011 तक अद्यतन है।

नई दिल्ली ;  
1 फरवरी, 2011

विनोद कुमार भरीन,  
सचिव, भारत सरकार।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारंपरीक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	पृष्ठ
<b>धाराओं का क्रम</b>	
पारंपरीक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	पृष्ठ
अध्याय 1	
प्रारम्भिक	
1. राज्यहेतु नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
2. परिभाषाएं	1
अध्याय 2	
सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की वाच्यताएं	
3. सूचना का अधिकार	3
4. लोक प्राधिकारियों की वाच्यताएं	3
5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम	4
6. सूचना अभिभाव करने के लिए अनुरोध	5
7. अनुरोध का विपलव	6
8. सूचना के प्रकट किए जाने से घृट	7
9. लिंगपत्र मामलों में यहुँ के लिए अस्वीकृति के आधार	8
10. पृथक्करणीयता	8
11. पर अविद्या सूचना	8
अध्याय 3	
केन्द्रीय सूचना आयोग	
12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन	9
13. पदाधिकारी और सेवा शर्तें	9
14. सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना	10
अध्याय 4	
राज्य सूचना आयोग	
15. राज्य सूचना आयोग का गठन	11
16. पदाधिकारी और सेवा की शर्तें	12

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

ii

पाराएं	पृष्ठ
17. राज्य मुख्य सूचना अधिकार का उत्तम सूचना अधिकार को हटाया जाना	13
अध्याय 5	
सूचना आधीरों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्त्रियाँ	
18. सूचना आधीरों ली शक्तियाँ और कृत्य .....	13
19. अपील .....	14
20. शास्त्रीय .....	15
अध्याय 6	
प्रक्रीण	
21. सरकारपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए सत्यापन .....	16
22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना .....	16
23. नवाचालिकों की अधिकारिता का वर्णन .....	16
24. अधिनियम का कठिनाय संगठनों को जानून होना .....	17
25. नामीटर करना और रिपोर्ट करना .....	17
26. समुद्रेत सरकार द्वारा कार्रवाय रैपार किया जाना .....	18
27. नियम बनाने की समुचित सख्ती रैपार की शक्ति .....	19
28. नियम बनाने की सदृश प्राधिकारी की शक्ति .....	19
29. नियमों का रखा जाना .....	19
30. अधिनियम को न्यू करने की शक्ति .....	19
31. इस्तीन .....	20
पढ़नी अनुशूदी .....	21
दूसरी अनुशूदी .....	

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संबंधन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नामरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक गारंटी पहुँचि रखायित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुबंधित विषयों का उपबंध  
करने के लिए

### अधिनियम

मास्त के संविधान ने लोकतान्त्रिक गारंटी की स्थापना की है ;  
और लोकतान्त्रिक गारंटी की सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा ग्राम्याधार की देखभाव के लिए भी और सरकारी तथा उनके परिकरों द्वारा उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक है ;  
और व्यावहारिक व्यावहार में सूचना के प्रकाटन से संबंधित अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारी के द्वारा प्रदान, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विशेष हो रहा है ;  
और लोकतान्त्रिक आवाहनों की प्रमुख को बनाए रखते हुए इन विशेष हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है ;  
इति, अब मह समीक्षीय है कि ऐसे नामरिकों द्वारा व्यावहार सूचना देने के लिए, जो उसी पाने के द्वचुक हैं,  
उपर्युक्त विधायिका नियम :  
मास्त गणराज्य के उपर्युक्त विधायिका में संसद द्वारा नियन्त्रित रूप में यह अधिनियमित हो :—

### अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम,  
2005 है।

(2) इसका विस्तार जग्मू कम्फीर राज्य के सिवाय साधूराण मास्त पर है।  
(3) घारा 4 की उपायारा (1), घारा 5 की उपायारा (1) और उपायारा (2), घारा 12, घारा 13, घारा 15, घारा 16, घारा 24, घारा 27 और घारा 28 के उपर्युक्त सुन्तर प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के गोपनीय उपर्युक्त इसके अधिनेतामान के एक सी वीसवें दिन<sup>1</sup> को प्रवृत्त होंगे।

2. वरिष्ठाधारा—इस अधिनियम में, जहाँ तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, —

- (अ) "संसुचित सरकार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो —
  - (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई नियियों द्वारा सार्वत्र रूप से नियन्त्रित किया जाता है, केंद्रीय सरकार अधिप्रत है;
  - (ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई नियियों द्वारा सार्वत्र रूप से नियन्त्रित किया जाता है, राज्य सरकार अधिप्रत है;
- (ब) "केंद्रीय सूचना आयोग" है, घारा 12 की उपायारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग अधिप्रत है;

<sup>1</sup> 15 जून 2005

## **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

### **—::विषय सूची::—**

भाग	विवरण
1	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियम
2	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मार्गदर्शी दिशा-निर्देश
3	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -सूचना को परिभाषा एवं आवेदन की प्रक्रिया
4	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -छत्तीसगढ़ शासन के नियम एवं महत्वपूर्ण परिपत्र
5	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अधीकारी का नाम एवं पदनाम

### **कार्यालय**

**नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)**

दूरभाष नं०-०७७६२-२२२९११ फैक्स नं०-०७७६२-२२२९२३

E-mail:[nraigarh@ymail.com](mailto:nraigarh@ymail.com), website [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(आयाय 1—प्रतिलिपि )

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपराखा (1) के अधीन पदाधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिषेत है और इसके असंगत वारा 5 की उपराखा (2) के अधीन इस प्रबन्धर पदाधिकारी कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नहीं है;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से वारा 12 की उपराखा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिषेत हैं;

(ङ) "संवाद प्राधिकारी" से अभिषेत है—

(i) लोक समा या किसी सम्बन्ध की विधान दला की या किसी ऐसे सम्बन्ध की, जिसमें ऐसी दला है दला से असंगत और समा या किसी सम्बन्ध की विधान परिषद् की दला में सम्बन्धि;

(ii) उत्तराम न्यायालय की दला में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दला में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान दला या उसके अधीन सम्बन्धि या गठित अन्य प्राधिकरणों की दला में, व्यास्थिति, व्यव्याप्ति या व्यापाल;

(v) संविधान के अनुसंधान 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(ग) "सूचना" से किसी उत्तरामिक रूप में शारित अभिषेत, दस्तावेज, आपन, ई-मेल, पत्र, सलाह, एस विडिओ, फोटो, आदेश, व्यापुक, समिति, रिपोर्ट, कानूनाव, न्यून, बाड़, अकड़ी संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक उत्तराम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन कोई लोक प्राधिकारी की पहुंच ही सकती है किसी रूप में कोई सामग्री अभिषेत है;

(घ) "विहित" से, व्यास्थिति, सम्बन्धि संस्कार या संवाद प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विधानों द्वारा विहित अभिषेत है;

(ङ) "लोक प्राधिकारी" से

(i) संविधान दला या उसके अधीन;

(ii) संसद् दला वाली यह किसी अन्य विधि द्वारा;

(iii) राज्य विधान संसद् दला वाली यह किसी अन्य विधि द्वारा;

(iv) सम्बन्धि संस्कार दला जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, व्याप्ति या गठित गई प्राधिकारी या विधाय या स्वायत्त संस्कारी दला जारी अभिषेत है;

और इसके अन्यकी:

(i) कोई ऐसा निकाय है जो सम्बन्धि संस्कार के स्वायत्ताधीन, विवरणाधीन या उसके द्वारा प्रबन्धि या असंगत रूप से उपलब्ध कराई गई नियंत्रिय द्वारा सम्बूद्ध रूप से वित्तीयित है;

(ii) कोई ऐसा गैर-संस्कारी संघर्ष है जो सम्बन्धि संस्कार,

दला प्रत्यक्ष या असंगत रूप से उपलब्ध कराई गई नियंत्रिय द्वारा सम्बूद्ध रूप से वित्तीयित है।

(ङ) "अभिषेक" से नियन्त्रिति समिलित है—

(i) कोई दस्तावेज, व्यापुकिय और फाइल;

(ii) किसी लकड़ी की कोई गाड़कीफला, गाड़कीमेले और प्रतिकृति प्रति;

(iii) कोई गाड़कीफला या संबंधित गाड़कीमेल या प्रतिकृति का तुलनात्मक (काढ़े बर्ती रूप में दूर कर दी), और

(iv) किसी व्यापुक दला या किसी अन्य कुर्सि दला उल्लिख कोई अन्य सामग्री;

(अध्याय 1 प्रारंभिक | अध्याय 2—सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की वायदाएँ )

(अ) “सूचना का अधिकार” से इस अधिनियम के अधीन पहुँच होना सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके विभागाधीन प्राप्त है, अधिकार अभिषेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार समिश्रित है :

(i) कृति, दस्तावेज़ी, अग्रिमेली का विचारण ;

(ii) दस्तावेज़ी या अग्रिमेली के विचारण, उद्देश्य का प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;

(iii) सामग्री के प्रमाणित चमूरे लेना ;

(iv) डिरेक्ट, अज्ञानी, ऐप, बीडिएस और एटी के साथ से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य सुवित में साझेदारी है, अग्रिमाप करना ;

(c) “राज्य सूचना आयोग” से धारा 15 की उपचारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिषेत है :

(c) “राज्य मुख्य सूचना आयोग” और “राज्य सूचना आयोग” से धारा 15 की उपचारा (3) के अधीन नियुक्ता राज्य मुख्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग अभिषेत है;

(d) “राज्य लोक सूचना अधिकारी” से उपचारा (1) के अधीन विभागित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिषेत है और इसके अधीन धारा 5 की उपचारा (2) के अधीन उस रूप में विभागित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है,

(e) “पर वकी” से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले, नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिषेत है, और इसके अंतर्में कोई लोक प्राधिकारी भी है ;

## अध्याय 2

### सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की वायदाएँ

3. सूचना का अधिकार इस अधिनियम के उपचारों के अधीन रहे हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होता।

4. लोक प्राधिकारियों की वायदाएँ (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—

(a) अपने सभी अग्रिमेली के सामग्रे रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्द ऐसी शिति और रूप में लेना, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुरक्षा बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अग्रिमेली, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समृद्धि है, युक्तिसुमुक्त समय के बीच और साथानों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर समृद्धि देश में गैरवक के माध्यम से संरक्षित हो जिससे कि ऐसे अग्रिमेल राज्य पहुँच को सुरक्षा बनाया जा सके ;

(b) इस अधिनियम के अधिनियम से एक ली लीस दिन के बीतर—

(i) उपरोक्त ली लीसेक्लान, कृत्य और वारोव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वितयां और कर्तव्य ;

(iii) विभिन्न समय करने वाले प्रक्रिया में वालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और प्राप्तवानिता के माध्यम सम्मिश्रित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए लघु ल्यापित गानदण्ड ;

(v) अपने द्वारा या अपने विभागाधीन प्राप्ति या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए गए विषय, विविध, अनुरोध, निर्देशन और अग्रिमेल ;

(vi) ऐसी दस्तावेज़ी की, जो उसके द्वारा पारित या उसके विभागाधीन है, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी भावरणा की विशेषित्या, जो उसकी नीति की सरबना या उसके कार्यान्वयन के समय में जनता के सदस्यों से परामर्शी के लिए या उनके द्वारा आम्नायेदा के लिए विद्यमान है ;

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(आयाम 2) सूचना का अधिकार और लोक अधिकारियों की सम्बताएँ ।

(viii) ऐसी बीजे, परिवर्ती, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें लो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके मानस्क में या इस गारे में सलाह देने के प्रयोगन के लिए भठ्ठन किया गया है और इस गारे में कि वह उन बीजे, परिवर्ती, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होनी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होनी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कमेंटरियों की विविधताओं ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कमेंटरी सह साप्ताहिक प्राप्ति गासिक प्रारब्धिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर का प्राप्ति ही है, जो उसके विविधतों में गणनाप्रबंधित है ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रत्यावर्त व्यक्ति और विषय पर सांकेतिकों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां, उपलब्धिकरण करते हुए अपने प्रत्येक अधिकारण को आवारेत बजात ;

(xii) राज्याधिकी कार्यक्रमों के विवरण की सीधी विवारणों आवंटित रही और ऐसे कार्यक्रमों के कायदाग्रहियों के बीच सम्बन्धित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदाता रियायत, अनुदापयों या प्राप्तिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इकाईकृतिक रूप में सूचना के संबंध में बीजे और उसको उपलब्ध ही या उसके द्वारा प्राप्ति है ;

(xv) सूचना अधिकार्य करने के लिए नामांकनों द्वारा उपलब्ध सूचियों की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या गारण कक्ष के, विविध लोक उपयोग के लिए अनुदित हैं तो, कार्यकरण घटे सम्भित है ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विशेष की जाए,

प्रकाशित करता और तत्वरूपता इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अदान करेगा ;

(1) महत्वपूर्ण नीतियों की विवरण वन्दे समय या ऐसे विविधतों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्राप्तिकरण करते हैं, सभी सूचनात उल्लेख नीतियों को प्रकाशित करेगा ;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का विवरण यह प्रयास होगा कि वह उपायां (1) के छठे (x) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्रता से, जनता को विभिन्न अन्तर्गतों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इकाई ही है, उल्लीकृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अपर्याप्त देना चाहे ।

(3) उपायां (1) के प्रयोगन के लिए, प्रत्येक सूचना को विवृत रूप से और ऐसे प्रसारित होना चाहिए, जो जनता के लिए सांख्यिकीय रूप से पहुंच दी जाए ।

(4) सभी सामग्री के, साधारण प्रभावशीलता, सामाजिक यात्रा और उस द्वीप में संसूचना की अव्यक्त प्रभावी पद्धति को ज्ञान में सरकरे हुए प्रशासित किया जाएगा तथा सूचना, व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या सभी लोक सूचना अधिकारी के पास इकाईकृतिक रूप में संभव सीधा तक विशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत की गई, साड़े रूप से पहुंच दी जाए ।

स्थानीकरण उपायां (3) और उपायां (4) के प्रयोगनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टी, समावास्पदों, लोक उद्योगालयों, नीडिया प्रसारणों, इकाईयों या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें विविध लोक प्राप्तिकारी के कार्यालयों का विविधान सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अनिवार्य है ।

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम—(1) प्रत्येक लोक प्राप्तिकारी, इस अधिनियम के अधीन दिए जाने वाली सभी प्रशासनिक एकाईयों या उसके अधीन कार्यालयों में, व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या उल्लीकृत सूचना अधिकारियों को अधिकृत करेगा, जिसने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्याख्यातों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं ।

(अध्याय 2-सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की सम्बताएं )

(2) उपाय (1) के उपराने पर प्रतिकूल प्रयाप करते विचार, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियम के सभी वित्ती अधिकारी वो प्रत्येक उपायकूल स्तर पर व्याख्याति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अधीन प्राप्त करने और उसे उत्तर, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या पारा 19-वीं उपाय (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना अधीन उपाय राज्य सूचना आयोग वो दखने के लिए प्रतिशिष्ट करेगा :

परन्तु यह कि नहीं सूचना या अधीन के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी वो दिया जाता है, वह पारा 7 की उपाय (1) के अधीन अधिनियम उपर के लिए अवधि की समाना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले अधिकारी वो अनुशंसा पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना जीवं माम करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ।

(4) यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह उपरे कुछ योग्य के समृद्धि विनियम के लिए आवश्यक समझे ।

(5) यदृच्छा अधिकारी, जिसकी उपाय (4) के अधीन सहायता बाही नहीं है, उसकी सहायता बाही बाले यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी वो सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपराने के किसी उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा ।

(6) सूचना अधिकार करने के लिए अनुशंसा (1) कोई नहीं, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अधिकार करना चाहता है, विविधत में या इसीकूरिएक सूचित के मायम से अधिक या हिन्दी में या उस लेख की भौतिकता विविधत किया जा सकता है, संबंधित में ऐसी विविधत के साथ, जो विहित की जाए—

(7) सूचित लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ;

(8) क्षमास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, वो उनकी द्वारा दायीं नहीं सूचना को विशिष्टिता विनियम करने द्वारा द्वारा अनुशंसा करेगा :

परन्तु अन्य ऐसा अनुशंसा विशिष्टित में नहीं किया जा सकता है, वह, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुशंसा करने वाले अधिकारी को सभी युक्तियुक्त सहायता यौक्तिक रूप से देगा, विशिष्टित में उनके उत्तराधिकार किया जा सकता है ।

(9) सूचना को लिए अनुशंसा करने वाले आवेदन से सूचना का अनुशंसा करने के लिए किसी कारण को या कैसा अन्य विविधत नहीं की, यथास्थित उसके जो उसके आवेदन के सिए आवश्यक है, दोनों को अवेदन नहीं दी जाएगी ।

(10) उल्लंघन कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी वो किसी ऐसी सूचना के लिए अनुशंसा करने द्वारा किया जाता है ; या

(11) विवरण विवरण-वस्तु विवरों अन्य लोक प्राधिकारी के काली वे अधिक विकट रूप से सञ्चित हैं, वह, वो लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित ही, उस केंद्रीय लोक प्राधिकारी को अवशिष्ट करेगा और ऐसी अवश्यक के बारे में आवेदन को तुरंत सूचना देगा :

परन्तु यह कि इस उपाय के अनुसरण में किसी आवेदन का आवश्यक यथास्थित योग्यता से किया जाएगा, किंतु किसी दो दला में आवेदन जीवं प्राधिकारी की विविधत से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(अध्याय 2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की जागता ५)

7. अनुरोध का निपटारा (1) वार्ष ५ वीं उपचार (2) के परतुक या वार्ष ६ वीं उपचार (3) के परतुक के अधीन रहते हुए वार्ष ६ के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, व्याख्यातीयांहा थे, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी जाहि के संदर्भ पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या वार्ष ८ और वार्ष ९ में विनिश्चित अवधारा में से किसी कराएगा या अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परंतु जहाँ वही नहीं जानकारी का संदर्भ किसी विकास के जीवन या रहनेवाला हो है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के अनुभवीय रूपों के भीतर उपलब्ध नहीं होती।

(2) यही व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपचार (1) के अधीन विनिश्चित अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें अनुरोध को नाप्राप्त कर दिया है।

(3) जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की जागता के लिए में किसी और कीस के संदर्भ पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय लिया जाता है, वही व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने सके विकास की।

(4) इसके द्वारा व्याख्यातायांहा सूचना उपलब्ध कराने की जागता के लिए और कीस के जीवी, जिनके जाग उपचार (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकलने के लिए वही गई राशनाएँ होती हैं, ऐसे हुए उससे उस कीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना देतेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदर्भ के भीतर व्याख्यातीय अवधि को उस पारा में विनिश्चित तीस दिन की अवधि की समर्णन करने के प्रयोग के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

(5) प्राप्तिर्वापी की जाग या उपलब्ध कराई गई सूचना के प्रकार के तरीरे में, जिसके अतर्गत अपील उपलब्धी की विनिश्चित, समय-सीमा, फीसका और कोई अन्य प्रक्रम नहीं है, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन उसे के संदर्भ में उसकी अधिकार या उसकी किसी भाग तक पहुँच अपौष्टि है और ऐसा व्यक्ति, उपलब्ध पहुँच उपलब्ध कराई जानी है, तो उपलब्ध का अन्य प्रक्रम के लिए विनिश्चय करने की व्याख्यातीय अधिकारी या जाग लोक सूचना अधिकारी सूचना का पहुँच को संपर्क बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें विनिश्चय के लिए ऐसी सहायता कराना भी समिक्षित है, जो समुचित है।

(6) जहाँ सूचना पहुँच की फीस का राज्य कराएगा, वही विहित की जाए।

परंतु यार्थ ८ की उपचार (1) और वार्ष ७ वीं उपचार (1) और उपचार (5) के अधीन विहित फीस अनुरोधका दीपी और ऐसे विनिश्चयों से, जो नवीनी की रैख के नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, उसके फोस प्रबोधक नहीं की जाएगी।

(7) उपचार (5) में दिली वार्ष के द्वारे हुए भी, जहाँ कोई लोक प्राधिकारी उपचार (1) में विनिश्चित समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वही सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्राप्त के लिए सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(8) उपचार (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या वार्ष ११ के अधीन पर व्याख्याता की रैख में सड़ेगा।

(9) जहाँ व्यक्ति अनुरोध की उपचार (1) के अधीन अत्योकृत किया जाता है, वहाँ व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को—

(i) देया अस्वीकृत के लिए जारी,

(ii) वह अवधि विसर्क भौतिक ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अधीक जा जाएगी; और

(iii) अधीक व्याख्यातीय की विनिश्चया,

तसुमित करेगा।

(प्रश्नावय 2- सूचना का अधिकार और लोक ग्राहिकारी की सम्बन्धताएं)

(9) किसी सूचना को सामाजिक उर्दी प्रकल्प में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह किस प्राप्तिकारी के साथी को अनुप्राप्ति रूप से विभिन्न न करता हो गा प्रश्नगत अधिकारी की सुखा या सत्त्वन के प्रतिकूल न हो।

8. सूचना के प्रकट किए जाने से पूर्ण (1) इस अधिनियम में अंतर्विदि किसी वार्ता के होते हुए भी, किसी अधिकारी को विभिन्न विभिन्न सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती।

(9) सूचना, जिसके प्रकल्प से वार्ता नहीं प्राप्त हो और अन्यथा, सज्ज की सुखा, स्वनीति, वैज्ञानिक या अधिकारी की विभिन्न से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पहुंच हो या किसी अधिकारी को करने का उद्दीपन होता हो;

(10) सूचना, जिसके प्रकल्प की किसी व्याख्यातय या अधिकारण द्वारा अभियाच्छ स्वरूप से विविध विषय का हो या जिसके प्रकल्प से व्याख्यातय का अवगमन होता हो;

(11) सूचना, जिसके प्रकल्प से संबंध या किसी व्यक्ति के विभाव मडल का भंग कारित होता हो;

(12) सूचना, जिसके विभिन्न विभिन्न विवाहार, व्यापार गोपनीयता या बीमाक रापदा सम्बन्धित है, जिसके प्रकल्प से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो, जब तक कि सकाम प्राप्तिकारी का यह सम्बन्ध नहीं हो जाता हो कि ऐसी सूचना के प्रकल्प से विवरुत लोक हित का समर्थन होता हो;

(13) किसी व्यक्ति को उचाई वैश्वारिक वाहिकारी ने उपलब्ध सूचना, जब तक कि सकाम प्राप्तिकारी का यह सम्बन्ध नहीं हो जाता हो कि ऐसी सूचना के प्रकल्प से विवरुत लोक हित का समर्थन होता हो;

(14) किसी विदेशी सरकार से विशेषता में प्राप्त सूचना;

(15) सूचना जिसके प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुखा को खतरे में डालेगा या जो योग्य प्रकार से सूचना प्रयोजनीय के ऐसे विशेषता में हो गई किसी सूचना या सामग्री के स्रोत की पहचान करेगा;

(16) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, यकृद जाने या अपीलोंजन की प्रक्रिया में अड्डेवन पड़ेगी;

(17) गवर्नमेंट के कामज़ब, जिसमें नियमित, सार्विक और अन्य अधिकारियों के विचार-विवरों के अभिलेख सम्बन्धित हो;

परन्तु यह कि मंत्रिमण्डल के विविध, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विविध विवरण यह ये विविध विवरण जिए जाने और विषय के पूर्ण या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएँ।

परन्तु यह और ये विवरण जो इस वार्ता में विवेदित हुए के अंतर्वेद जाते हों, प्रकट नहीं किए जाएँ।

(18) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकल्प किसी लोक क्रियाकलाप या हित से नुकसान होने वाली व्यक्ति की एकत्रिता पर अनावश्यक अविभग्नण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, को-ईम लोक सूचना आवेदितीय या सज्ज लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राप्तिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता हो कि ऐसी सूचना का प्रकल्प विवरुत लोक हित में व्याप्तिगत हो;

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, तंत्रज्ञ या किसी राज्य विधान-मडल को देने से इकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इकार नहीं किया जा सकता।

(19) शासकीय पुरुष वाले अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में, उपरात (1) के अनुसार अनुशेष्य किसी घटना, घटना का विषय ये संवित होई सूचना, जो उस वार्ता से, जिसको वार्ता 6 के अधीन कोई अनुशेष्य विषय जाता हो, विषय का पूर्ण विवरुत हुई ही या हुआ या, उस वार्ता के अधीन अनुशेष्य करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

(20) उपरात (1) के वार्ता (ग), वार्ता (ग) और वार्ता (श) के उपलब्ध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, घटना का विषय ये संवित होई सूचना, जो उस वार्ता से, जिसको वार्ता 6 के अधीन कोई अनुशेष्य विषय जाता हो, विषय का पूर्ण विवरुत हुई ही या हुआ या, उस वार्ता के अधीन अनुशेष्य करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

(प्रभाग २) सूचना का अधिकार और लोक अधिकारियों की कार्यवाएँ ७

परन्तु यह कि वह उस जारीत के बारे में, जिससे दीर्घ काल की उसके अवधि को संगीता किया जाता है, कोई प्रश्न उड़ाता है, वह इस अधिनियम में उसके लिए व्यवसित प्राचीन अधीनों के अधीन तभी हुए केंद्रीय सरकार का विनियम आविष्य होता ।

९. कठिन यामों में पहुंच के लिए अस्तीकृति के आधार-प्राप्त ५ में उपलब्ध पर प्रतिकृत प्राप्त आसे दिन, अधिकारियों कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई अन्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुसूची को वह प्रकट कर सकता, जब उसने उपलब्ध यामों के लिए ऐसा अनुसूची जन से विन दिली व्यक्ति के असिल्लुक विनियमकारक उद्देश्यानुसार उपलब्ध कराया ।

१०. सुधारकार्यालय-(१) वह सूचना को पहुंच के अनुसूची को इस आधार पर अस्तीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के लिए है जो प्रकट किए जाने से पूर्ण प्राप्त है, वह इस अधिनियम में दिली वाले के होते हुए भी, पूर्ण अधिकार के द्वारा याम तक उपलब्ध कराई जा सकती दिली एसी सूचना अन्वारित नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट कराये जाने से पूर्ण प्राप्त है और जो दिली एसी याम से, जिससे पूर्ण प्राप्त सूचना अन्वारित है, युक्तियुक्त रूप से पूर्ण की जा सकती है ।

(२) वह उपलब्ध (१) के अधीन अधिकार के दिली याम को पहुंच अनुसूची की जाती है, वह, व्याख्याति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या उसके लोक सूचना अधिकारी विनालितिहा सूचना होते हुए, आदेतक को एक सूचना देता है—

(३) अनुसूचित किए गए अधिकार का निवार एक याम ही उस अधिकार से उस सूचना को, जो प्रकटन से पूर्ण वाले याम कों पर्याप्त उपलब्ध कराया जा सकता है ।

(४) विनियम का लिए वाला, विनार का निवार याम के दिली व्यवस्थाएँ प्रश्न पर उस तापमान के प्रति, दिली पर विनार का निवार हो, विनेश करता हुए कोई विनारी नहीं है ।

(५) विनियम करने वाले व्यक्ति वह याम जीत प्राप्त कराया ।

११. यह अनुसूचित यामों की विनार और विनारी की वाले याम विनारी आदेतक से निवार करने की अपेक्षा की जाती है, और

(१) सूचना के याम को प्रकट न किए जाने के ताकि ये विनियम के प्रतिलिपिका को दारे में उसके अधिकार, अन्वारित विनार की लाभ या उपलब्ध कराया याम पहुंच को प्राप्त, विनार का नामांकन, व्याख्याति, याम ११ की वापाया ।  
(२) विनार का नामांकन, विनार का नामांकन सूचना अधिकारी या सूचना सूचना अधिकारी की विनारीदेश, समाज-प्रकार और कोई अन्य पूर्ण का प्रस्तुत ही है ।

१२. पर व्यक्ति सूचना (१) वह, व्याख्याति, दिली केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सूचना लोक सूचना अधिकारी की वाले याम के लिए गए अनुसूच पर कोई ऐसी सूचना या अधिकार या उसकी दिली याम को प्रकट करने का वापाय है, जो दिली पर विनार से सम्बद्ध है या उसके द्वारा इसका प्रदान किया जाता है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे विनार करना जाता है, वह, व्याख्याति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या उपलब्ध सूचना अधिकारी अनुसूच प्राप्त होने से पूर्ण वाले याम के विनार देने पर विनारी को अनुसूच की ओर इस तर्फ की विनारित रूप से सूचना देता है, व्याख्याति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सूचना लोक सूचना अधिकारी या उपलब्ध सूचना या अधिकार या उसके याम को प्रकट करने का वापाय है, जो इस याम से निवार करने वाली याम ही नहीं, विनियम में या व्याख्यात रूप से विनेश करने के लिए पर विनारी को अनुसूच नहीं जाना सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनियम नहीं समय पर व्यक्ति के देखें जाएगा ।

परन्तु विन द्वारा उत्तम याम का विनारित सूचना याम जीत प्राप्त की जाता है तो दिली प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर विनार के द्वारी जीते विनारी समाजित अधिकारी का याम से अधिक विनारी हो तो प्रकट अनुसूच किया जा सकता ।

(३) वह याम (१) के अधीन व्याख्याति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर विनार का विनी सूचना या अधिकार का उपलब्ध विनी याम के बारे में दिली सूचना की लाभीक जीती है, वह ऐसे पर विनार को एक याम जीत प्राप्त करने वाली याम के बारे में विनार के नामांकन के विनार अध्यावेदन करने का अवशाय जाएगा ।

(४) याम (१) के अधीन याम की द्वारी हुए भी, व्याख्याति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सूचना लोक सूचना अधिकारी परन्तु याम के अधीन अनुसूच प्राप्त होने के पर्याप्त यामीक दिली की जीतर यामे पर व्यक्ति को उपलब्ध (२) के अधीन अन्वारेन करने का अवशाय हो दिया जाय है, जो इस यामे पर विनारित याम की सूचना विनियम से पर विनारी को देता ।

(५) उपलब्ध (१) के अधीन याम की द्वारी हुए भी सूचना में याम याम की विनियम देता है, वह पर व्यक्ति, दिली सूचना की गई है, याम १० के अधीन लोक विनियम की विनार करने का अवशाय है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
(अध्याय 3—केन्द्रीय सूचना आयोग )  
अध्याय 3

**केन्द्रीय सूचना आयोग**

12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से जात एक निकाय का गठन करेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे काल्पनिक पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन नहीं जाए।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग नियन्त्रित से वित्तवार बोगा—

(क) मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अधिक उम्री संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जिनमें आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियन्त्रित से वित्तवार बनी समिति की नियन्त्रिति पर की जाएगी—

(i) प्रधानमंत्री, जो ताक्षित का अधिकार होगा ;

(ii) लोक सभा में विषय का नेता ; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित संघ मिशन्डल का एक गवर्नर।

**स्वरूपकरण—** शक्तियों की विभाजन के प्रोजेक्ट के लिए वह धौखित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विषय के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं ही मिल है, वहां लोक सभा में सरकार के विषयी एकल सदसे बड़े समूह के नेता को विषय का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीकार, नियन्त्रण और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे राजी कार्य और कार्य कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के नियन्त्रण के अधीन रहे विना प्रत्योग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विधान और श्री लोगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंरक्षण आधारण या प्रशासन तथा शासन का व्यापक आन और अनुग्रह रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे :

(6) मुख्य सूचना आयुक्त वा कोई सूचना आयुक्त, व्याख्याति, संसद का सदरय या किसी संघ अन्तर्राष्ट्रीय की विधान भूमिका सदरय नहीं होगा या कोई अन्य लान का पद धारित नहीं करेगा या किसी सुनिश्चित दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबाह नहीं करेगा या कोई दृष्टि नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुग्रहात् से, यात्रा में अन्य राज्यों पर कारबाही स्थापित कर सकेगा।

13. पदावधि और सेवा शर्त—(1) मुख्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पांच वर्षी होगा :

परन्तु यह कि जोई मुख्य सूचना आयुक्त वैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या वैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पांच वर्षी होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपचार के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपचार (3) में विवरित तौर पर मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पांच वर्षी होगा :

(अंगाम 3-कोन्वेंय सूचना आयोग )

परन्तु यह और कि वह सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के स्थान में नियुक्त किया जाता है वहाँ उसकी प्रत्यापी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के स्थान में कुल विलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, जिया एवं इत्यादि को साधा, पहली अनुसूची में इस प्रबोधन के लिए उपचारित प्रलय के अनुसार एक साथ या प्रतिशान लेना और उस पर विवाह करना।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अथवे हस्ताक्षर दर्तित संसद ज्ञाना पाठ समाप्त करना।

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त लोगों वाला 14 में निर्दिष्ट शैति से हटाया जा सकता।

(5) संदेश देता और भरत तथा सेवा के अन्य निवायन और शर्ते-

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की नहीं होगी, जो निवायन आयुक्त की है;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होगी, जो निवायन आयुक्त की है;

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी बड़ा सरकार के अधीन किसी भी पूर्ण सेवा के संबंध में कोई पैशान, असामता या क्षमिता पैशान से या कोई सूचना सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के स्थान में सेवा के संबंध में उसके बैठन में से, उस पैशान की विवाक अंतर्गत पैशान या ऐसा कोई पाठ, किसी संसाधित किया गया या और सेवानियुक्त उपदान के सम्बन्ध पैशान को छोड़कर, सेवानियुक्त कामदी के अन्य स्वरों के सम्बन्ध पैशान नहीं है, तबम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि साथे मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी को-कोई नियम या सज्ज अधिनियम द्वारा को उसके अपने सामाजिक किसी नियम में या कोन्वेंय सरकार या दला सरकार के समितिकारी या अन्य प्राचारीय किसी साकारी कार्यों में कोई यदि किसी भी पूर्ण सेवा के संबंध में सेवानियुक्त अपाय भाव कर रहा है या कोई सूचना सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के स्थान में सेवा के संबंध में उसके बैठन में से, सेवानियुक्त कामदी के सम्बन्ध पैशान नहीं है, तबम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के बैठन, भरती और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के परस्पर उसके विवाकर स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(6) को-कोई सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उसने अधिकारी और कमेन्डरी उपलब्ध कराएगी, जिनमे इस अधिनियम के अधीन उनके कुलों के ज्ञान पालन के लिए आवश्यक ही और इस अधिनियम के कुलों के लिए नियुक्त किए गए अधिकारीयों और अन्य कमेन्डरीयों को संदेश देता और भरत तथा सेवा के निवायन और भरती होगी, जो विविह की जाए ।

14. सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना- (1) उपचारा (3) के उपर्योग के अधीन स्वेच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के अदेश द्वारा साबित करायार या अरमानीयों के प्राप्ति पर उपर्योग कर से तभी हटाया जाएगा, जब उन्नामन नामालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे छिए गए किसी निर्देश पर जान के प्राप्ति पर उपर्योग कर दिए हों तो ही कि, यानिकोइ, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस अधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को किसके विचार द्वारा उपचार (1) के अधीन उन्नामन नामालय को निर्देश किया गया है ऐसे विचार पर उचितम नामालय की स्पीष्टि प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया किए जाने वाले विवर के लिए विवाकर कर सकता और यदि आवश्यक समझे तो, यान के दोनों कामोंमें उपर्योग होने से यह प्रतिविवाकर कर सकता ।

(3) उपचारा (1) में अनुरिष्ट किसी वात के लिए द्वारा यही राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा यदि से हटा सकता, यदि विवाकरि, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त--

(क) विवाकिया-नामनियुक्त किया गया है; या

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(उच्चाय 3-कीटोग सूचना आयोग। उच्चाय 4-राज्य सूचना आयोग।)

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषित हहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्वर्दित है ; या

(ग) अपनी पदाधिक के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी नैतिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राष्ट्रपति द्वारा मै भानशक या भानशक अधमता के कारण पद पर बैठे रहने के अधिक्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पहने दी राखी दी है।

(४) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या जोड़ी सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से वही गई किसी संविदा या कानून से सबूद या उसमें हितदह या या किसी नियमित कानून के किसी सदस्य के रूप में से अन्वया और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामाजिक उसके लाभ में या उससे प्रोत्सुन्न होने वाले किसी फायदे या विस्तरितों में दिखाया देता है तो वह उपाय (१) के प्रयोजनों के लिए, कानूनार का दोषी समझा जाएगा।

उच्चाय 4

राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन- (१) प्रत्येक राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा,..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से आते एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का वालन करेगा, जो उसी इस अधिनियम के अधीन रहीं जाएँ।

(२) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से वित्तकर देनेगा-

(अ) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ब) उस से अन्वयित उसकी सदस्यों में राज्य सूचना आयुक्त, जिनमें आवश्यक समझे जाएँ।

(३) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तज्ज्ञाता द्वारा निम्नलिखित से वित्तकर वही किसी समिति की विकारिश पर की जाएगी-

(i) मुख्यमंत्री, जो रामेति का अधिकार होगा;

(ii) विधान सभा में विषय का नेता ; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित विधायाजो दलों गठितडल का सदस्य।

राज्यीकरण-समाजों की दूर करने के प्रयोजनों के लिए वह योग्यता किया जाता है कि वहां विधान सभा में विषयी दल की नेता को उस रूप में आवश्यक नहीं हो गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विषयी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विषयी दल का नेता समझा जाएगा।

(४) सच्य सूचना आयोग के कार्यों का सामाजिक अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसका राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सामाजिक की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर राखेगा और उनीं ऐसे कार्य और कार्यों के साक्षात् जो उस सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राविधिकी के अधीनी हो दिया रखाया जा सकता है या की जा सकती है या की जा सकती है।

(५) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विधान और ग्रोलोगिकी, राज्याज्ञेय, प्रबंध, व्यवाधारित, जनराजीकी व्यायाम या व्यवासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(६) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, व्यावधारित, उच्चाय का सदस्य या किसी राज्य या राज्य संसदीय के विधान सभा का सदस्य नहीं होंगा या जोड़ी अन्य सभा का वद वाला नहीं करेगा या किसी राज्यनियम का वद वाला नहीं होंगा या जोड़ी कानूनार नहीं करेगा या जोड़ी नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियोगित करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

16. प्रदाति और सेवा की रही (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धृत करता है, पारंपरी की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ;

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैसवत वर्ष की आम श्रावक कर्म के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धृत करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या वैसठ वर्ष की आम श्रावक कर्म के लिए पद धारण करते तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपचार को अपनी अपना पद विकल करने पर, घास 15 की उम्रावास (3) में विनियोगित सीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वह उसकी प्रदाति राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी :

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद धृत करते से पूर्व राज्यपाल या इस प्रतिषेध उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी के साथ पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्गीत प्रभाव के अनुसार शब्द या प्रतिक्रिया लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, जिसी भी समय, राज्यपाल की सर्वोचित अपने हस्ताक्षर सीहित सेर्व द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या जिसी राज्य सूचना आयुक्त को घास 17 में विनियोगित सीति से हटाया जा सकता :

(5) सेव्य वेतन और भरो तथा सेवा के अन्य नियंत्रण और रही

(a) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नहीं होगी, जो किसी नियोगित आयुक्त की है ;

(b) राज्य सूचना आयुक्त की नहीं होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सरिवत की है :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के साथ भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पैशान, अदातात या ज्ञाति वैश्वन से विन्यापत कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसकी वेतन व से उसके पैशान की कम की, जिसकी अंतीम पैशान का ऐसा भाव जिसे संरक्षित किया गया था और एवानियूति उपचार के समतुल्य पैशान को प्रोटकर अथ प्रकार के सेवानियूति कारबंडी के समतुल्य पैशान भी है, कम नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी औन्ही अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लापौर किसी नियम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में जी वह किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानियूति विन्यापत कर रहा है यहाँ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसकी वेतन व से सेवानियूति विन्यापत के समतुल्य पैशान की रकम लगा कर दी जाएगी ।

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्ती के वेतन, भरो और सेवा की अन्य रही में उनकी नियुक्ति के परन्तु उनके लिए अत्यधिकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

ગુજરાત સરકાર મનીનિધિ, 2005

अधिकारी व अधिकारी अधीकारी । अधिकारी ५—दूसरी आयोगी की शक्तियाँ और कृत्य, अधीकार तथा शक्तियाँ ।

(6) संख्या गतिकार चलने मुख्य सूचना आमुक्त और संख्या सूचना आमुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जिन्हें उस अधिनियम के अन्तर्गत उनकी कृतियों के द्वारा पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारीयों और अन्य कर्मचारियों को संदेश देतां और भस्ते तथा मेंढ़ा के विवरण उहर शहर ऐतो होनी, जो विस्तृत की जाए।

17 राजन् पुरुष सूचना आयुक्त को राजन् सूचना आयुक्त को हटाया जाना—(1) उपधारा (3) के उपर्योग के अधीन दसहाई हजार राजन् पुरुष सूचना आयुक्त का नियमी रूप सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा संवित करायार तथा उपर्योग के अधीन पर उपर्योग दर से ही हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ये राज्यपाल द्वारा दर से हिँड़े गए नियमी नियम या जाने ले पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, व्यवस्थिति, राजन् पुरुष सूचना आयुक्त या राजन् सूचना आयुक्त को दसहाई पर हटा दिया जाना चाहिए।

(२) राज्यपाल, उसी तरह सुख्य सुन्दरा आशुकल या सम्पूर्ण आशुकल को, जिसके विरुद्ध उपचार (१) के अधीन उत्तराम आशुकल को निरोग किया गया है, ऐसी विशेष पर संवत्सर न्यायालय यी शिरोत्तमी की प्राप्ति पर लगावाइट हाक आशुकल किए जाने उक्त घट द्वे गिरिमेह तक साक्षिता और यदि आशुकल कामबैठे हो ऐसी जांच के द्वारा उत्तराम ये उपचारालय द्वारा घोषित भी कर सकता।

(३) उपरान् (१) में अनिवार्य विस्तीर्णी वात के लिए हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्यमान सूचना आवश्यक या किसी राज्य सूचना आवश्यक नहीं, अधिकारी द्वारा, वह सो लेता रहकरा, गणि चयाप्रयोगि, राज्य मुख्य सूचना आवश्यक या राज्य सूचना आवश्यक-

(iii) డాక్టరు వెంకిల్ రెడ్డి ను : 45

(44) यह एक विश्व-व्यापक की लिए विभागित उद्देश्य समाज है, जिसमें सभ्यताएँ की तरफ में नीतिक प्रयत्न अपनाये जायें।

(c) यह सभी विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त योग्यता के उपरी से परे किसी वैज्ञानिक विद्योतन में लगा हुआ है ; यह

अपनी विद्यार्थी के लिए उत्तम अध्ययन के लिए पढ़ाए जाना चाहिए।

1. दूसरी तरफ का यह ना गान्धीजीक के लिए अतिरिक्त विषय है।

आवाहन ५

राजना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपेक्षा तथा शास्त्रिय  
18. राजना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य (1) इस अधिनियम के उल्लंघनों के अभी रहने हुए व्यापिति, निम्नलिखित राजना आयोग या राजना आयोग का गत कर्तव्य है तो कि, वह विनियोगित विद्युती ऐसे व्यक्ति से शिकायत  
की जाएगी।

(२) जो यात्रारिक्ति, किसी कं-ट्रीय लोक सूचना अधिकारी या सर्व लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्राप्त होते हैं तबसमें यह है कि इस अधिकारियां के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है कि या यात्रारिक्ति कं-ट्रीय सामग्रक लोक सूचना अधिकारी या सर्व सामग्रक लोक सूचना अधिकारी से इस अधिकारियां के अधीन सूचना या आपॉल के लिए पारा 19 की उपाया (१) में दिये गए कं-ट्रीय लोक सूचना अधिकारी या सर्व लोक सूचना अधिकारी अथवा जाल अधिकारी या, यात्रारिक्ति, कं-ट्रीय सूचना अधिकारी या सर्व लोक सूचना अधिकारी अथवा जाल अधिकारी या, यात्रारिक्ति, कं-ट्रीय सूचना अधिकारी या सर्व सूचना अधिकारी को उसके लाईन को मेजबे को लिए स्वीकार करने से इकान कर दिया है।

(20) इसी दूसरी अधिकारीयम के अंतीम अन्तर्गत भी नहीं कोई जानकारी उक्त पालन के लिए इकाई कर दिया जाता है।

रुचना का अधिकार अधिनेत्रम्, 2005

(अध्याय 5-सूचना आयोग की अक्षियाँ और कृति, अपील तथा शास्त्रियाँ )

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विभिन्न समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है ;

(ii) जिससे दूसी पीछे की लाग का तात्पर्य करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुदित समझता है वा समझती है ;

(c) जो यह विवाद करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, चम्प में डालने वाली या विषय सूचना नहीं गई है ; और

(d) इस अधिनियम के अधीन अधिसेखी के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने वा संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में ।

(2) जहाँ, व्याख्याति, केन्द्रीय सूचना आयोग या सञ्चय सूचना आयोग का यह समझान से जाता है कि उरा विषय में जांच करने के लिए दुमियुक्त आवाहन है, इहां यह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकता ।

(3) व्याख्याति, केन्द्रीय सूचना आयोग या सञ्चय सूचना आयोग को, इस पात्र के अधीन किसी भागले में जांच करने समय वही व्यक्तियों प्राप्त होती, जो निम्नलिखित भागती के बाबा में विवित प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी दाता का विवारण करते समय विवित नायात्मक में निहित होती है, अर्थात् :-

(a) किसी व्यक्तियों को समन करना और उन्हें अपरिषिद्ध करना तथा शब्द पर भौतिक या लिखित राज्य देने के लिए और उत्तराधिक या धीरे पैक करने के लिए उनको विवाद करना ;

(b) दरवाजेजी के प्रवालीकरण और विशेषज्ञ की अपेक्षा करना ;

(c) शास्त्राधिक पर राज्य की अविभाज्य करना ;

(d) किसी नायात्मक या नायात्मक से विस्तीर्ण लोक अधिसेल या उसकी प्रतिवांगना ;

(e) राजियों या दरवाजेजी की परीक्षा के लिए समन जारी करना ; और

(f) कोई अन्य विषय, जो विहित विषय जाए ।

(4) व्याख्याति, संख्या 4 या रज्य विधान-मंडल के विस्तीर्ण अन्य अधिनियम में अंतर्भूत किसी असंगत बात के लिए हुए भी, व्याख्याति, केन्द्रीय सूचना आयोग या सञ्चय सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी विकायत जी जांच करने के दौरान, ऐसी किसी अधिसेल की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्रधिकारी के विवारण में है और उसके द्वारा ऐसे विस्तीर्ण अधिसेल को किसी भी अवासरे पर देका नहीं जाएगा ।

19. (1) अपील (1) एवं लोट्ट व्यक्ति, जिसे राज्य 7 की उपायकारी (3) या उपायकारी (3) के खंड (क) में विभिन्न व्याख्यात के भीतर घोड़े विभिन्न व्यापार नहीं हैं या जो व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या सञ्चय लोक सूचना अधिकारी के किसी विवेकान्वय से नवाचित है, उस अपील की समाप्ति से या ऐसे विस्तीर्ण विविक्षण की प्राप्ति से योंस दिन के भीतर ऐसे अपीलही को अपील कर सकता, जो प्रधोक लोक प्रधिकारण में, व्याख्याति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या सञ्चय लोक सूचना अधिकारी की विवित से ज्येष्ठ परिवार का है ।

परन्तु ऐसा अपीलही, जीस दिन की अपील की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकता, यदि उसका यह समझान हो जाता है कि अपीलही समय पर अपील काइद करने में परापूर्व जारी से विवादित किया गया था ।

(2) जब अपील वार्ष 11 के अधीन व्याख्याति, विस्तीर्ण केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या विस्तीर्ण लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्राप्त करने के लिए लिए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहाँ संविधेत पर विवित द्वारा अपील, उस अपील की जारीत हो सीस दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) उपायकारी (1) के अधीन विभिन्न व्यापार की विवित सूचना अपील उस जारीता से, जिसको विविक्षण किया जाना चाहिए या या वार्षन में प्राप्त किया गया था, जो दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या सञ्चय सूचना आयोग की जाएगी :

परन्तु व्याख्याति, केन्द्रीय सूचना आयोग या सञ्चय सूचना आयोग ने दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकता, यदि उसका यह समझान हो जाता है कि अपीलही समय पर अपील काइद करने से परापूर्व जारी रहा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(अन्यथा 5. सूचना आवेदी की संवितांग और कार्य अपील तथा शासियां ।)

(4) आदे, व्यापारियों, कंपनीय लोक सूचना अधिकारी या सज्ज लोक सूचना अधिकारी का विविधतय, जिसके विषय अपील भी वह है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो, यथार्थिये, कंपनीय सूचना आदोग या सज्ज सूचना आदोग दस पर व्यक्ति को सुनिश्चित गतवार देणा ।

(5) अपील संबंधी विषयी कार्यालयों में वह संबंधित करों का भार कि अनुरोध को अखरीकार करना न्यायोनित या, यथार्थिये, कंपनीय लोक सूचना अधिकारी या सज्ज लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इकार किया दिया है ।

(6) उपराम (1) या उपराम (2) के अदीन विषयी अपील का विवाद, लेखनदृष्टि द्वारा जाने वाले कारणों से, अदीन की प्रक्रिया के तीस विषय के गीतर या ऐसी विस्तृतियां अवगति के गीतर, जो उसके काइल किए जाने वी तारीख से कुल बीतालीय दिन से अधिक न हो, किया जाएगा ।

(7) यथार्थिये, कंपनीय सूचना आदोग या सज्ज सूचना आदोग का विविधतय आबद्धकर होगा ।

(8) अपने विविधतय में, यथार्थिये, कंपनीय सूचना आदोग या सज्ज सूचना आदोग को विनियोगित की जानी ।

(9) लोक प्राधिकार से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपर्योग का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, विषयी अंतर्गत विनियोगित भी है :-

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध करना, यदि विशेष प्रक्रम से ऐसा अनुरोध किया गया है ;

(ii) यथार्थिये, कंपनीय लोक सूचना अधिकारी या सज्ज लोक सूचना अधिकारी को विष्फल करना ।

(iii) कठियप सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना ;

(iv) अपेक्षित के अनुपालन प्रयोग और विवाद से संबंधित अपनी पढ़ातियों में आवश्यक वर्णन दर्शाना ।

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण की उपाय की ददाना ;

(vi) वास 4 की उपायां (1) के लिए (d) के अनुसार से अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना ।

(vii) लोक प्राधिकार से शिकायतकारी को, उसके द्वारा साइन की मई वित्ती सुनि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिवृत्ति करने की अपेक्षा करना ।

(viii) इस अधिनियम के अदीन उपलब्ध शासियों में से कोई शासित अधिकारियों को, अपने

विविधतय में, विस्तृत अंतर्गत अपील का नोट्ट अधिकार भी है, सूचना देणा ।

(9) यथार्थिये, कंपनीय सूचना आदोग या सज्ज सूचना आदोग, अपील का विविधतय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित वी जाए ।

20. शासित (1) वास वित्ती विकास या अपील का विविधतय करते समय, यथार्थिये, कंपनीय सूचना आदोग या सज्ज सूचना आदोग की यह राय है कि, यथार्थिये, कंपनीय लोक सूचना अधिकारी या सज्ज लोक सूचना अधिकारी ने, विषयी सुनिश्चित गतवार का विषय सूचना के लिए, जोई आपेक्षा प्राप्त करने से इकार किया है या वास वाम (1) के अदीन विविधतय सामग्री के गीतर सूचना नहीं ही है या असम्भवमुक्त सूचना के लिए अनुरोध से इकार किया है या जानकारकर गतवार, अपूर्ण या ग्रामक सूचना नहीं है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय वी या विषयी वित्ती से सूचना देने में गमा अस्ती है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आपेक्षा प्राप्त विषय जाता है या सूचना में वापरी है तो रात्रि वनास राप्त तक शासित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(अध्याय 5- सूचना आदीरों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा जारितीयाँ। अध्याय 6-प्रक्रीण।)

परन्तु यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सचिव लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शक्ति अधिरोपित किए जाने की गृहीत सूचनाई का युक्तियुक्त अवतर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि वह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सचिव लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।

(2) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विवेचन करते रहना, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आदीरों की गई रूप है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या सचिव लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कार्य के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपचारा (1) के अधीन विवेचित समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से दूकान किया है या जानकूकार गलत, अपूर्ण या भावक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुसूचि का विषय नहीं या किसी तीव्र से सूचना देने में बाधा ढाई है वह वह, यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या गज़ा लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू रोका नियमों के अधीन अनुकानांकिक बारंबाई के लिए सिफारिश करेगा ।

अध्याय 6

प्रक्रीण

21. सदाचारपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण कोई बाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी वा ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसकी अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सदाचारपूर्वक की गई है या जो जाने के लिए आशीर्वाद है, किसी विविध के विरुद्ध न होगी ।

22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना—इस अधिनियम के उपर्युक्त यासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर उनमें से वासी किसी लिखित में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगे ।

23. यायालयों की अधिकारिता का बजेन-कोई यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के सक्षम में कोई बाद आवेदन या अन्य कार्रवाही प्रह्लाद नहीं करेगा और ऐसी किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अधीन के स्वयं में के विवाद किसी रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

24. अधिनियम का जनिपय संगठनों को लागू न होना (1) इस अधिनियम में अंतिम कोई बात, केंद्रीय संघात द्वारा स्थापित आसूचना और सुलभ सामग्री को, जो दूसरी अनुसूची में विवेचित है या ऐसे संगठनों द्वारा उस संकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी ।

परन्तु प्रधानमंत्र और मानव अधिकारों के अधिकारण के अधिकारों से संबंधित सूचना इस उपचार के अधीन अपर्जित नहीं जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि यांत्रों गई सूचना मानवाधिकारों के अधिकारण के अधिकारों से संबंधित है तो सूचना, केंद्रीय सूचना आदीरों के अनुसूचीन के ग्रहण की दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुसूची की प्राप्ति के विवादों से दिया जाएगी ।

(2) केंद्रीय संघात, सचिवत या किसी अधिकूपना द्वारा, अनुसूची का उस संघात द्वारा स्थापित विविध अन्य आसूचना या सुलभ सामग्री को उससे संबंधित करके या उसमें पहले से विवेचित किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर दीजी और ऐसी अधिकूपना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया जाया या उसके उससे लोप किया जाया समझा जाएगा ।

(3) उपचार (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिकूपना, संघात के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसी जासूचना और सुलभ सामग्री को लागू नहीं होगी, जो सचिव संघात द्वारा स्थापित द्वारा संभव है जिसे वह संघात साथ समय पर लगातार में अधिकूपना द्वारा, विवेचित करे :

परन्तु प्रधानमंत्र और मानव अधिकारों के अधिकारण के अधिकारों से संबंधित सूचना इस उपचार के अधीन अपर्जित नहीं की जाएगी ।

परन्तु यह और कि यदों मात्रा मई सूचना मानव अधिकारों के अंतिकर्मण अनिकरणों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुसूचित के पश्चात ही ही जाएगी और वारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुसूचित को प्राप्ति के दौरानीस नियों के भीतर ही जाएगी।

(5) उपायान (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिकृत सूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

25. गवर्नर करना और रिपोर्ट करना—(1) यथानियत, कोन्ट्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात, गवालायाशीघ्रता से उसे वर्ती के दौरान इस अधिनियम के उपर्योग के कार्यान्वयन के सब्द में एक लिंगिट दैवार करेगा और उसकी एक प्रति समुद्दित सूचनाएँ देगा।

(2) प्रत्येक दैवार या विधान अधीन अधिकारियों के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथानियत, कोन्ट्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस वार्ता की अधीन लिंगिट दैवार करने के लिए अधिकृत है और इस वार्ता के प्रतीक्षणों के लिए उस सूचना को देने वाला अधिकृत सूचना से सबस्तित आवश्यकीय का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक लिंगिट में उस वर्ष के सब्द में, जिनके लिंगिट संबंधित है, नियन्त्रितिवाल के बारे में कथन होगा,

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) ऐसे लिंगिटों की संख्या, जहाँ आपेक्षक अनुरोधों के अनुसारण में दस्तावेजों तक पहुंच हो लिए हुक्मदार नहीं हैं, दूसरे अधिनियम के तेज उपर्योग, जिनके अधीन ये लिंगिट गए हो और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपर्योग का अवलंबन लिया गया था;

(ग) पुरुषिस्तोकन के लिए, यथानियत, कोन्ट्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अधीक्षणों की संख्या, अधीक्षणों की प्रक्रिया और अधीक्षणों के विवरण;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के सब्द में नियोजित अधिकारों की गई अनुशासनिक कार्रवाई;

(ङ) अधीक्षण:

(ज) दूसरे अधीक्षण के अंतर्वर्ती लोक प्राधिकारी द्वारा एकान्तर की गई प्रभावों की संख्या;

(झ) अदृढ़ ऐसे वर्ष, जो इस अधिनियम की भावना और आवाह को प्रशासित और कार्यान्वयित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के लिये प्रयोग की उपर्योगीता करते हैं,

(ञ) सुधार के लिए विधानसभा, जिनके अतर्वात इस अधिनियम या अन्य विधान या राज्यान्वयित के दिक्षात, समून्ति, अनुशासनीकरण, सुधार या संरचना के लिए विधानसभा लोक प्राधिकारियों के संबंध में विधानियत या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रत्यावृत्तीकरण करने के सुरक्षित कोई अन्य विषय नहीं है।

(ञ) विधानसभा, कोन्ट्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात, गवालायाशीघ्रता से, उपर्याप्त

(1) में लिंगिट, यथानियत, कोन्ट्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की लिंगिट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के सम्बन्ध या जहाँ सूचना विधान मंडल के ही सम्बन्ध हैं, वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष और जहाँ राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहाँ उस सदन के सम्बन्ध रखनाहोगी।

(2) यदि कोन्ट्रीय सूचना आयोग या सूचना सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अन्तर्वर्ती का प्रयोग करने के सब्द में नियोजित लोक प्राधिकारी की प्रयोगीते इस अधिनियम के उपर्योगी या भावना के अनुसार नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपर्याप्त विधानसभा कर्त्ता हुए जो उसकी व्यवस्था में ऐसी अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए जाने वाले विधानसभा कर सकते हैं।

26. समुद्दित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना—(1) समुद्दित सरकार, विधायी और अन्य संसाधनों की अनुसन्धान की सीधी तरफ

(2) वनाड़ी नींव, विधायी अन्य से, उपर्योगीत समुद्दितों की इस बारे में साक्षर करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुसार अधिकारी का प्रयोग करते हुए नियोजित जाए विधानसभा कार्यक्रम वा संकेती और अधिकृत नहर संसदी;

(3) लोक प्राधिकारियों को, लोक (क) में विधानसभा कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का राज्य विधान सभा के लिए प्रोत्त्वान्वित कर सकते हैं;

(५) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके किनाकलायों के बारे में सही जानकारी का उपयोग से और प्रभावी रूप से प्रसारित हिए जाने को बढ़ावा दें सकती ;

(६) लोक प्राधिकारियों के, याचिकारियों, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकती और लोक प्राधिकारियों द्वारा रखने के उपयोग के लिए सुरक्षात् प्रशिक्षण सामग्रियों का उपलब्ध कर सकती ।

(७) सार्विक सरकार, इस अधिनियम के प्राप्त से अत्यर आमा के भीतर अपनी राज्यभाषा में, सहज व्यापक रूप और सीधे से ऐसी सूचना जारी एक पार्सेटरीका संक्षिप्त करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में आवेदन की जाए और अधिनियम में विस्तृत किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है ।

(८) सार्विक सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपायां (२) में विस्तृत पार्सेटरी रिकॉर्डों को नियमित अंतरालों पर अदलन और प्रशिक्षित करेगी, जिनमें विशिष्टताएं और उपायां (२) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव दाते विनाविनाशित राखियेंगे होंगी ।

(९) इस अधिनियम के अधीन :

(१) घटना ५ की उपायां (१) के अधीन विकृत प्रत्येक लोक प्राधिकारण के, याचिकारियों, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को जाक और पत्ती जाव पाए, जोग और जीक्स नंबर और दृष्टि उपलब्ध हो तो उसका दृष्टिकौनिक रूप कराया ।

(२) यह दृष्टि और प्रकृत, विस्तृत, याचिकारियों, जिसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारों से किसी सूचना जाक पहुँच का अनुरोध किया जाएगा ।

(३) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारण के, याचिकारियों, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सातायता और उसके कठोरों ।

(४) याचिकारियों, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ।

(५) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिकारियों की अधिकार या कठोरों के संबंध में कोई कार्य करने वा करने में अवश्यक सूचने के बारे में विवि में अवलम्बन सभी उपायां विस्तृत अंतर्गत आयोग को अपील काइल दें जो उसी ओर भी है ।

(६) घटना ५ के अनुसार अधिकारियों के प्रयारी के विशिष्ट प्रकारण के लिए प्राप्तमान करने वाले उपकार ।

(७) केन्द्रीय सूचना एक पहुँच के लिए अनुदेशों के रूप में दातव यी बातों से संबंधित दृष्टिकौनिक रूप ।

(८) इस अधिनियम के अनुसार विभिन्नी सूचना तक पहुँच प्राप्त करने के संबंध में बगाए गए या जारी दिए गए केन्द्रीय अधिकारियों का वापर ।

(९) सार्विक सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी रिकॉर्डों को अदलन और प्रकारीकरण करना चाहिए ।

27. नियम बनाने की समिक्षित सरकार की समिति - (१) सार्विक सरकार, इस अधिनियम के उपकारों को कार्यालय करने के लिए सरकार में अधिकृत सूचना द्वारा, नियम बना सकती ।

(२) विशिष्टताएं और विविधी अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव दाते विना, ऐसे नियम नियन्त्रित करनी जो किसी नियम के लिए उपकार कर सकते, असौं ।

(३) घटना ५ की उपायां (४) के अधीन प्रस्तुति वी जाने वाली सामग्रियों के उपयोग की लागत या दृष्टि द्वारा दृष्टि ।

(४) घटना ८ की उपायां (१) के अधीन सदैय कीरी ।

(५) घटना १२ की उपायां (१) और उपायां (५) के अधीन सदैय कीरी ।

(६) घटना १३ की उपायां (६) और घटना १६ की उपायां (६) के अधीन अधिकारियों और अन्य करोनारियों को उपलब्ध देना और यह उनकी सेवा के विवाह और राहीं ।

(d) वार्ष 19 की उपाया (10) के अधीन अधीक्षतों का विनियवय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना अधीक्षतों का सभा सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(e) कोई अन्य विधा, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

28. नियम बनाने की सहाय प्राप्तिकारी की शर्तें - (1) सहाय प्राप्तिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कानूनी-वेतन करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकता ।

(2) विशिष्टतया और पूरीतया शर्तों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव दाले विना, ऐसे नियम निम्नस्थित रूपों का किसी विधा के लिए उपयोग कर सकते, जाने ।

(i) वार्ष 4 की उपाया (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों की मात्राम वी सामग्र या प्रिन्ट लागत सूचना ;

(ii) वार्ष 6 की उपाया (1) के अधीन संदेश चीज़ ;

(iii) वार्ष 7 की उपाया (1) के अधीन संदेश चीज़ ; और

(iv) कोई अन्य विधा, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

29. नियमों का रखा जाना - (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय राजकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाय जाने की प्रक्रिया, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन के समझ, जब वह ऐसी तुल लीस दिन की अवधि के लिए सब में से, जो एक सदन में अग्रवाली या अधीन आनुचालिक सदों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सदन में या पूरीकृत आनुचालिक सदों के लीक-वाल के सब के अवसान के पूर्व लोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन इस वाल से सहमत हो जाए कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तपश्चात् यथास्थिति, केन्द्र ऐसे उपराखि भव में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । साथपि, जस नियम के ऐसे उपांत्तिया या विषयावाक होने से उसके अधीन पहले की गई किसी वात की विविधानता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी रखा संस्कार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित लिए जाने के पावनाएं, यथास्थिति, साल विधान-प्रबल के समान रखा जाएगा ।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शर्तें - (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाइ लगता होती है तो केन्द्रीय राजकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश तहत ऐसे उपबंध बना सकती, जो इस अधिनियम के अधीन से असाध्य न हो, जो उसे कठिनाइ को दूर करने लिए आवश्यक और सभीन प्रतीत होने वाले हों ।

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रावध से नहीं वर्ष नहीं अधिक की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस वाल के अधीन विधा या प्रत्येक आदेश, लिए जाने की प्रक्रिया, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन के समान रहा जाएगा ।

31. नियमन-सूचना लालना अधिनियम, 2002 (2003 का 5) इसके द्वारा निररित किया जाता है ।

पहली अनुसूची

[धारा 13(3) और धारा 16(3) टेक्स्ट]

मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ती  
जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रकार

“गो मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना  
आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियम सुना हूँ इशारे की तात्परा लेता हूँ कि मैं लिखे द्वारा स्वापित भारत  
सर्वविधा से प्रतिज्ञान करता हूँ  
मैं सर्विधन के प्रति सभी अधिकार और विधेय संसद, मैं भारत की प्रमुख और अखण्डता अध्युणा त्वंगा तथा मैं सम्पर्क  
प्रकार से और अद्वितीय तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विषेष से अपने पद के कर्तव्यों का भय या व्यवाहार,  
अनुराग या द्वेष के लिया यातन करना तथा मैं सर्विधान और लिखितों की मर्यादा कराए रखूँगा।”।

दूसरी अनुसूची  
(घरा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना बूँदे ।
2. परिमंडल संविधान के अनुसाधान और विश्लेषण बंड ।
3. राजरप आसूचना निदेशालय ।
4. केन्द्रीय अधिकार आसूचना बूँदे ।
5. प्रबलनि निदेशालय ।
6. राष्ट्रक नियन्त्रण बूँदे ।
7. ईमानिक अनुसंधान केन्द्र ।
8. विशेष सीमांत्र बल ।
9. रोमा सुरक्षा बल ।
10. केन्द्रीय आरक्षीत मुसिरा बल ।
11. ग्राम-प्रिवत रोमा बल ।
12. केन्द्रीय औरतीनिक सुरक्षा बल ।
13. रक्षाग सुरक्षा बाठ ।
14. अराम संटपत्ति ।
15. उपरज रोमा बल ।
16. जाग कर ग्राम-प्रिवत अधिकार (अन्वेषण) ।
17. राष्ट्रीय नकानिकी अनुसंधान टंगड़ ।
18. विशीय आसूचना गृहित भारत ।
19. विशेष सखा गुप्त ।
20. ज्ञा अनुसंधान और विकास संभड़ ।
21. दीम लड़क विकास बोर्ड ।
22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् संविधान ।

Ministry of Home Affairs  
LIBRARY  
Acc. No 12-G-13268.  
Date..... 2/8/2012.....

14 AUG 1974  
PQ-23-1

मिलेंगा:- (1) प्रदातान और विक्री प्रबन्धक, विषि साइंस प्रकाशन, भारत सरकार, भारतीय विषि संस्थान भवन,  
भगवान्नपुर दर्द, नई दिल्ली 110 001.  
(2) प्रकाशन मियवक, भारत सरकार, रिविउ लाइन्स, दिल्ली 110 054.

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE



## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[1 फरवरी, 2011 को स्थावितमान]

### Right to Information Act, 2005

(Act No. 22 of 2005)

[As modified up to 1st February, 2011]

2011

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मुद्रित तथा  
प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य : (देश में) : ₹ 23.00; (विदेश में) £ 0.33 या \$ 0.47